न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 04 / 2013
प्रविष्टि दिनांक 13–2–2013

छीतर पुत्र लाला मीणा निवासी ग्राम कुरेड़ा तहसील पीपलू जिला–टोंक राज0

............आवेदक

बनाम

1–गोत्तम पुत्र कमला (माता) जाति मीणा निवासी कुरेड़ी तह0 पीपलू जिला–टोंक
2–रामसिंह पुत्र कमला (माता) जाति मीणा निवासी कुरेड़ी तह0 पीपलू जिला–टोंक
3–किशन पुत्र देव्या मीना निवासी ग्राम कुरेड़ा तहसील पीपलू जिला–टोंक राज0
4–.भू–आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोंक

.... अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू–आवंटन नियम 1970

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थिति : (1) श्री लादूलाल यादव अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री उम्मेदसिंह सोलंकी अभिभाषक अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3

<u>निर्णय</u> **दिनांक 8.2.2021**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 7.06.1989 को प्रतिपक्षी 1व दो के पिता व कमला के पति गोपाल पुत्र पॉचू मीना को आ0ख0नं0 1236 रकबा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कुरेड़ी तहसील टोंक हाल पीपलू में कीमतन आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरूद्व एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने क[illegible] सलाहकार समिति द्वारा दिनाक 7–6–89 को बिना उद्घोषणा जारी किये [illegible] र्ट लिये बिना गोपाल पुत्र पॉचू मीना को ख0न0 1236 मे 16 बिस्वा भूमि का [illegible] कीमतन 450/रू0

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

प्रतिबीघा के हिसाब से किया गया है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की गई है। आवंटी का आवंटन भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। उक्त भूमि प्रार्थी के खेतो में मिली होने से आवेदक ने मौके पर अपनी भूमि में मिला कर खेत बना रखे हैं। ओर आवेदक भूमि आवण्टन होने से पूर्व से लगातार काश्त करता आ रहा है तथा आज भी मौके पर आवेदक का ही कब्जा काश्त है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि इस भूमि में होकर खसरा नम्बर 35 में सार्वजनिक रास्ता भी बना हुआ है। इस कारण यह भूमि आवण्टन के समय खाली भूमि नहीं थी किन्तु फिर भी आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा आवण्टन कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि आवण्टी ने आवण्टन शर्तों की पालना नहीं की है ओर न ही भूमि की कीमत जमा करवाई है। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने जवाबी बहस मे कथन किया एंव लिखित बहस में अंकित किया कि भू– आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा विपक्षी सं0 1 व 2 के पिता व कमला के पति को आ0ख0न0 ख0न0 1236 मे 16 बिस्वा भूमि का आवंटन कीमतन 450/रू0 प्रति बीघा के हिसाब से नियमानुसार आवंटन किया गया है। विपक्षी भूमिहीन कृषक है। आवंटित भूमि विपक्षी की गैर खातेदारी मे दर्ज है। भूमि खसरा नम्बर 1236 रकबा 16 बिस्वा में से रास्ता जा रहा है, रास्ते को छोड़ कर ही खसरा नम्बर 1236 का शेष भाग बचा रकबा 16 बिस्वा आलाटमेंट कमेटी ने मौका देख कर ट्रेस में अंकित रास्ते को छोड़ कर ही आवण्टन किया है जो सही एंव नियमानुसार किया गया है। गोपाल के पिता का नाम पॉचू है उसकी मृत्यू के बाद उसकी पत्नि कमला , कमला की मृत्यू के बाद उसकी संतान गोत्तम व रामसिंह के नाम आवटित खसरा नम्बर 1236 रकबा 16 बिस्वा का नामान्तरकरण खोला गया है तब से आज तक अप्रार्थीगणों का अंकन खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी में है। उक्त नामान्तरकरणों को निरस्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में पेश करना चाहिये था जो आज तक पेश नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 7.06.1989 को प्रतिपक्षी 1 व 2 के पिता व कमला के पति गोपाल पुत्र पॉचू मीना को आ0ख0नं0 1236 रकबा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कुरेड़ी तहसील टोंक हाल पीपलू में कीमतन आवंटन किया गया है। आवण्टन नियमानुसार किया गया है। आवण्टी द्वारा आवण्टन के पश्चात राशि भी जमा करवा कर रसीद पेश की गई है। साथ ही जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी चतुर्थवर्षीय सम्वत 2068–2071 की नकल पेश की है जिसमें बाजरा व सरसो की काश्त अंकित है। प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा विपक्षी सं0 1 व 2 के पिता गोपाल [illegible] मीना के हक मे आवंटन नियमानुसार किया गया है। अभिभाषक प्रार्थी ने [illegible] निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन मे आम रास्ता बना [illegible] ऐसी स्थिति मे यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

रास्ते की भूमि में आवण्टन किया गया है तो उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं0 1 व 2 के पिता गोपाल पुत्र पॉचू मीना पति कमला निवासी ग्राम कुरेड़ी तह0 टोंक हाल पीपलू जिला टोंक को दिनांक 7–6–1989 को ग्राम कुरेड़ी की आराजी खसरा नम्बर 1236 में रकबा 16 बिस्वा भूमि का आवण्टन किया गया है। आवण्टित भूमि में से रास्ते के मध्य से 50 गज की परीधी की भूमि के आवण्टन को निरस्त किया जाता है, शेष आवण्टन यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 8–2–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:11:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner